

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 9/17

1. प्रयागनारायण पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना  
डूंगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. कोमल प्रसाद पुत्र जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना  
डूंगर जिला सवाईमाधोपुर
2. मुकेश
3. राजेश
4. राकेश पुत्रान केदार प्रसाद
5. द्रोपती पत्नि केदार प्रसाद जातियान ब्राह्मण निवासीयान बिच्छीदोना तहसील मलारना  
डूंगर हाल निवासी म0न0 327/31 समाजवादी इंदिरा नगर टोल कांटे के पास  
चांदमारी के सामने इन्दौर (म0प्र0)  
तहसीलदार मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर  
उप पंजीयक मलारना डूंगर

(अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उप जिला कलक्टर मलारना डूंगर मु0न0 1/13  
निर्णय दिनांक 25.1.17 )

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
2. रेस्पोंडेन्ट 1 की ओर से श्री बालकृष्ण उपाध्याय, श्री विनोद अग्रवाल
3. रेस्पोंडेन्ट 2 लगायत 5 की ओर से श्री श्याम मोहन शर्मा

अपील संख्या 13/17

1. मुकेश
2. राजेश

3. राकेश पुत्रान केदार प्रसाद  
4. द्रोपती पत्नि केदार प्रसाद जातियान ब्राह्मण निवासीयान बिच्छीदोना तहसील मलारना  
डूंगर हाल निवासी म0न0 327/31 समाजवादी इंदिरा नगर टोल कांटे के पास  
चांदमारी के सामने इन्दौर (म0प्र0)

अपीलांट

बनाम

1. कोमल प्रसाद पुत्र जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना  
डूंगर जिला सवाईमाधोपुर
2. प्रयागनारायण पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारना डूंगर  
जिला सवाईमाधोपुर
3. तहसीलदार मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर
4. उप पंजीयक मलारना डूंगर

1. अपीलान्तान की ओर से श्री श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पोजेन्ट 1 की ओर से श्री बालकृष्ण उपाध्याय
3. रेस्पोजेन्ट 2 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दिनांक 4.11.19

### निर्णय

प्रस्तुत अपीले अपीलान्तान की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 1/13 निर्णय व डिग्री दिनांक 25.1.17 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त/वादी की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि भूमि ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा एवं ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा ग्राम बिच्छीदोना में स्थित है। इस भूमि पर वादी एवं उसके पूर्व वादी के पिता बंशीलाल पुत्र बसन्तीलाल का पिछले 70-80 वर्षों से लगातार बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने उक्त भूमि को कभी काश्त नहीं की है, वे गांव छोड़कर सदैव के लिए इन्दौर चले गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 का किसी भी तरह इस भूमि से कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमि पर पिछले 70-80 वर्षों से वादी का कब्जा काश्त होने से वह स्वतः ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदार हो गया है एवं अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। दिनांक 30.10.10 को प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित भूमि पर आकर बेदखल करने की धमकी देने तथा कब्जा न छोड़ने की स्थिति में खानियाजा भुगतने की धमकी दी गई। वादी द्वारा विरोध किया गया तब वह वहाँ से चला गया परन्तु वापिस आने की धमकी देकर चला गया। यही वाद कारण उत्पन्न होने पर अपीलान्त/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर विवादित भूमि ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा एवं ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा ग्राम बिच्छीदोना का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्त का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्त/वादी द्वारा इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील संख्या 9/17 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्त ने तनकी संख्या 1 को राजस्व अभिलेख द्वारा एवं खातेदार रेस्पोजेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे से पूर्ण रूप से भौतिक कब्जा पूर्वजों के समय से निरन्तर शांति पूर्वक चले आ रहे कब्जे को साबित किया है उसके पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जो निरस्त योग्य है। विवादित भूमि साबिक ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा, ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा का अपीलान्त/वादी ने मौके पर एक ही खेत बनाकर चारों ओर मेडबन्दी करके गेहूँ की फसल बो रखी है। मौके पर अलग अलग हिस्से भी नहीं हो रहे हैं। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। इस तथ्य की पुष्टि करने हेतु

अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलांट व रेस्पोंड संख्या 1 का सजरा खानदान भी एक ही है। अपीलांट का बाबा वसन्ती लाल पुत्र वालावकश था। विवादित भूमि की खसरा गिरदावरी बाबा के नाम दर्ज थी तत्पश्चात सम्वत 2012 मे वसन्ती लाल की मृत्यु होने के पश्चात सम्वत 2017 से विवादित भूमि की खसरा गिरदावरी बन्शीलाल के नाम दर्ज थी, एवं सम्वत 2017 से लेकर आज तक कभी भी भौतिक कब्जा मृतक मोतीलाल व रेस्पोंड कोमल प्रसाद का नही रहा। यह तथ्य साबित होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नही किया। अधिनस्थ न्यायालय मे मृतक मोतीलाल द्वारा दिनांक 19.4.84 को रेस्पोंड द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर रेस्पोंड का कब्जा मानने मे अहम कानूनी भूल की है। क्योंकि वसीयत नामा स्वअर्जित सम्पति पर ही प्रभाव मे माना जाता है। जबकि विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार आज भी रेस्पोंड संख्या 2 लगायत 5 के नाम से दर्ज है। इसलिए वसीयत स्वतः ही इस प्रकार से प्रभाव शून्य हो जाती है। इस तथ्या को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। रेस्पोंड 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होते हुए भी रेस्पोंड 1 का काउन्टर क्लेम डिग्री किया गया है। जो विधि विरुद्ध है। सम्वत 2012 की जमाबंदी मे सवटिनेन्ट करूप मे कमल या मोतीलाल का नाम नही था न ही मोतीलाल का विवादित आराजीयात पर सम्वत 2017 मे पश्चातवर्ती कब्जा नही होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 19 आर टी एक्ट के तहत रेस्पोंड कोमल को खातेदारी अधिकार प्रदान कर कानूनी भूल की है। विवादित भूमि साबिक ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा , ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा के हाल नवीन न0 452 रकबा 0.15 है, ख0न0 465 रकबा 0.94 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.09 की भूमि खाता संख्या 273 सम्वत 2069 से सम्वत 2072 की जमाबंदी के अनुसार रेस्पोंड संख्या 2 लगायत 5 के नाम से दर्ज है। विवादित भूमि के पूर्व मे स्थित भूमि ख0न0 369 की भूमि अपीलांट व रेस्पोंड संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि है। जिसके हाल नवीन ख0न0 466 रकबा 1.19 है0 है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोंड संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा है। इस तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। वाद ग्रस्त भूमि पर अपीलांट/वादी एवं उसके पूर्व वादी के पिता बंशीलाल का पिछले 70-80 वर्षो से लगातार बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज है। जो गांव छोडकर इन्दौर चले गये है इन्होने कभी भी भूमि को काशत नही किया । इतने लम्बे समय से भूमि पर कब्जा होने के कारण वादी स्वतः ही काशतकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदार हो गया है। इन तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। वह निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री अपास्त फरमाया जाकर ग्राम बिच्छीदोना की साबिक ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा , ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा के हाल नवीन ख0न0 452 रकबा 0.15 है, ख0न0 465 रकबा 0.94 है कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.09 है का अपीलांट को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे तथा रेस्पोंड संख्या 2 लगायत 5 के नाम से दर्ज इन्द्राज को अपास्त फरमाया जावे।

अपील संख्या 9/17 के रेस्पोंड संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि विवादित आराजीयात पर अपीलांट/वादी एवं उसके पिता बंशीलाल का कभी भी कब्जा काशत नही रहा है। अपीलांट/वादी ने प्रतिवादी/रेस्पोंड 2 लगायत 5 से साज करके मुझ रेस्पोंड संख्या 1 के विरुद्ध अवैधानिक रूप से गैर कानूनी रूप से अधिनस्थ न्यायालय मे दावा प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोंड संख्या 1 का एवं मुझसे

पहले मेरे पूर्वजों का राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले से कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ रेस्पो 1 को खातेदार घोषित किया गया है। रेस्पो संख्या 2 लगायत 5 काफी अरसा दराज से ही इन्दौर में रहते हैं तथा अपीलान्त/वादी भी विगत कई वर्षों से गांव के बहार रहता है। मृतक मोतीलाल रेस्पो 1 पिता जुगलकिशोर एवं दत्तक पिता बजरंग लाल का खास बडा भाई था। जिसके कोई सन्तान नहीं थी। रेस्पो संख्या 1 मृतक मोतीलाल का सबसे नजदीकी वारिस भी है एवं मृतक मोतीलाल की रेस्पो संख्या 1 ने ही सेवा की थी जिससे खुश होकर उसने अपनी तमाम चल अचल सम्पत्ति का एक वसीयतनामा मुझ रेस्पो संख्या 1 के हक में दिनांक 19.4.84 को बजरंग लाल माली डीडरार्डर से लिखवाकर तहरीर व तकमौल कर दिया था एवं रेस्पो 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड करवा दिया था। जिसके आधार पर मोतीलाल की खातेदारी की समस्त आराजीयात का नामा मुझ रेस्पो 1 के नाम खुल चुका है। इसके अलावा साबिक ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा हाल ख0न0 452 रकबा 15 ऐयर तथा साबिक ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा हाल ख0न0 465 रकबा 94 ऐयर गाम बिच्छीदोना में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात पर शुरू से ही मृतक मोतीलाल पुत्र बसन्तीलाल का हिस्सा 1/2 पर कब्जा रहा है जो पूर्व की तरफ का भाग है जिसकी मेडबंदी हो रही है। मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात से ही मुझ रेस्पो 1 का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जमाबंदी एवं वार्षिक रजिस्टर सम्बत 2010 से 2013 में मृतक मोतीलाल का नाम उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में बतौर उपकृषक दर्ज है। रेस्पो 1 के पक्ष में वसीयतकर्ता मोतीलाल राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने से पूर्व ही विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर उप कृषक दर्ज है। इसलिए धारा 19 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वाई आपरेशन आफ ला स्वतः ही मृतक मोतीलाल एवं उसके बाद मुझ रेस्पो 1 को उपरोक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। तभी से रेस्पो इस पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। अपीलान्त/वादी का कभी भी उक्त विवादग्रस्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है। प्रतिवादी/रेस्पो संख्या 2 लगायत 5 उनके पिता के समय से ही विवादित भूमि के कब्जे से आउट रहे हैं। इसलिए उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। इन सभी तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से विवेचन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल निहित नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

4.11.19  
राजस्व अपील अधिकारी  
भावाई मोनोपुत्र

अपील संख्या 9/17 के रेस्पो 2 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता का बहस अपील में कहा कि विवादित आराजीयात रेस्पो 2 लगायत 5 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी का आराजी है। जिस पर वादी/अपीलान्त ही काबिज है। पूर्व में अपीलान्त/वादी के पिता एवं वर्तमान में स्वयं अपीलान्त/वादी काश्त का लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है। रेस्पो संख्या 2 लगायत 5 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा हमारी सहमति से ही अपीलान्त/वादी उक्त आराजी पर काबिज रहकर लाभ प्राप्त करता आ रहा है। रेस्पो 1 का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। रेस्पो 2 लगायत 5 भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं एवं वर्तमान में इन्दौर के स्थाई निवासी हो गये हैं। जब से हम इन्दौर गये हैं तब से अपीलान्त/वादी व वादी के पूर्वज विवादित आराजी पर कब्जे काश्त कर लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होते हुए भी कदीमी समय से खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 452 रकबा 0.15 है, ख0न0 465 रकबा 0.94 है 0 के 1/2 हिस्से पर रेस्पो संख्या 1 के पक्ष में डिग्री जारी करने में अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो 2 लगायत 5 के खातेदारी के अधिकारों के साथ घोर अन्याय कर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। रेस्पो 2 लगायत 5 के इन्दौर में रहने के कारण हमेशा से अपीलान्त से खेती साजे बांटे पर करवाते थे। जिसकी हमारे द्वारा

सहमति दी गई थी। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय होने एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिग्री निरस्त फरमाई जाकर माम विवधीदोना की शाबिक ख0न0 355 रकबा 12 विरवा , ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विरवा के हाल नवीन ख0न0 462 रकबा 0.15 है, ख0न0 465 रकबा 0.94 है कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.09 है का रेषो0 2 लगायत 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अपील संख्या 13/17 के अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्तान खातेदार काश्तकार होते हुए भी कदीमी समय से खातेदारी की भूमि ख0न0 452 रकबा 0.15 है0, ख0न0 465 रकबा 0.94 है0 के 1/2 हिस्से पर रेषो0संख्या 1 के पक्ष में डिग्री जारी करने में अहम गूल की है। अपीलान्तान एवं उनके पूर्व इन्दौर में रहने के कारण हमेशा से पड़ोसी खेतों वालों से ही साझे बांटे पर काश्त करवाते आ रहे हैं। अपीलान्तगण ने इस आशय की सहमति जवाब दावे में दी थी। इस आधार पर भी अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व डिग्री निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण भी निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात रेषो0 2 लगायत 5 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादी/अपीलान्त ही काबिज है। पूर्व में अपीलान्त/वादी के पिता एवं वर्तमान में स्वयं अपीलान्त/वादी काश्त का लाभ प्राप्त करता चला आ रहा है। रेषो0 संख्या 2 लगायत 5 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा हमारी सहमति से ही अपीलान्त/वादी उक्त आराजी पर काबिज रहकर लाभ प्राप्त करता आ रहा है। रेषो0 1 का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। रेषो0 2 लगायत 5 भूमि के रिकार्डेड खातेदार है एवं वर्तमान में इन्दौर के स्थाई निवासी हो गये है। जब से हम इन्दौर गये है तब से अपीलान्त/वादी व वादी के पूर्वज विवादित आराजी पर कब्जे काश्त कर लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होते हुए भी कदीमी समय से खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 452 रकबा 0.15 है0, ख0न0 465 रकबा 0.94 है0 के 1/2 हिस्से पर रेषो0 संख्या 1 के पक्ष में डिग्री जारी करने में अहम कानूनी गूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेषो0 2 लगायत 5 के खातेदारी के अधिकारों के साथ घोर अन्याय कर निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। रेषो0 2 लगायत 5 के इन्दौर में रहने के कारण हमेशा से अपीलान्त से खेती साजे बांटे पर करवाते थे। जिसकी हमारे द्वारा सहमति दी गई थी। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय होने एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिग्री निरस्त फरमाई जावे।

अपील संख्या 13/17 के रेषोडेट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि विवादित आराजीयात पर अपीलान्त/वादी एवं उसके पिता बंशीलाल का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलान्त/वादी ने प्रतिवादी/रेषो0 2 लगायत 5 से साज करके मुझ रेषो0 संख्या 1 के विरुद्ध अवैधानिक रूप से गैर कानूनी रूप से अधिनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी पर रेषो0संख्या 1 का एवं मुझसे पहले मेरे पूर्वजों का राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले से कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ रेषो0 1 को खातेदार घोषित किया गया है। रेषो0 संख्या 2 लगायत 5 काफ़ी अरसा दराज से ही इन्दौर में रहते हैं तथा अपीलान्त/वादी भी विगत कई वर्षों से गांव के बहार रहता है। मृतक मोतीलाल रेषो0 1 पिता जुगलकिशोर एवं दत्तक पिता बजरंग लाल का खारा बड़ा भाई था। जिसके कोई सन्तान नहीं थी। रेषो0 संख्या 1 मृतक मोतीलाल का सबसे नजदीकी

वारिस भी है एवं मृतक मोतीलाल की रेसपो संख्या 1 ने ही सेवा की थी जिससे खुश होकर उसने अपनी तमाम चल अचल सम्पत्ति का एक वसीयतनामा मुझ रेसपो संख्या 1 के हक में दिनांक 19.4.84 को बजरंग लाल माली डीडराईटर से लिखवाकर तहशीर व तकमील कर दिया था एवं रेसपो 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड करवा दिया था। जिसके आधार पर मोतीलाल की खातेदारी की समस्त आराजीयात का नामा मुझ रेसपो 1 के नाम खुल चुका है। इसके अलावा साबिक ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा हाल ख0न0 452 रकबा 15 ऐयर तथा साबिक ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा हाल ख0न0 465 रकबा 94 ऐयर ग्राम बिच्छीदोना में स्थित है। बादग्रस्त आराजीयात पर शुरू से ही मृतक मोतीलाल पुत्र बसन्तीलाल का हिस्सा 1/2 पर कब्जा रहा है जो पूर्व की तरफ का भाग है जिसकी मेडबंदी हो रही है। मोतीलाल की मृत्यु के पश्चात से ही मुझ रेसपो 1 का उक्त आराजीयात पर कब्जा काशत चला आ रहा है। जमाबंदी एवं वार्षिक रजिस्टर सम्वत 2010 से 2013 में मृतक मोतीलाल का नाम उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में बतौर उपकृषक दर्ज है। रेसपो 1 के पक्ष में वसीयतकर्ता मोतीलाल राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने से पूर्व ही विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर उप कृषक दर्ज है। इसलिए धारा 19 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत वाई आपरेशन आफ ला स्वतः ही मृतक मोतीलाल एवं उसके बाद मुझ रेसपो 1 को उपरोक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर खातेदार काशतकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। तभी से रेसपो इस पर काबिज काशत होकर लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। अपीलांट/वादी का कभी भी उक्त विवादग्रस्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है। प्रतिवादी/रेसपो संख्या 2 लगायत 5 उनके पिता के समय से ही विवादित भूमि के कब्जे से आउट रहे हैं। इसलिए उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। इन सभी तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से विवेचन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल निहित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अपील संख्या 13/17 के रेसपो 2 के विद्वान अधिवक्ता का बहस अपील में कथन रहा कि भूमि ख0न0 355 रकबा 12 विस्वा एवं ख0न0 368 रकबा 3 बीघा 14 विस्वा ग्राम बिच्छीदोना में स्थित है। इस भूमि पर रेसपो 2 एवं उसके पूर्व रेसपो 2 के पिता बंशीलाल पुत्र बसन्तीलाल का पिछले 70-80 वर्षों से लगातार बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। यह भूमि अपीलांटान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। जबकि अपीलांटान ने उक्त भूमि को कभी काशत नहीं की है, वे गांव छोड़कर सदैव के लिए इन्दौर चले गये हैं। रेसपो संख्या 1 का किसी भी तरह इस भूमि से कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमि पर पिछले 70-80 वर्षों से रेसपो 2 का कब्जा काशत होने से वह स्वतः ही राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदार हो गया है एवं अपने आप को खातेदार काशतकार घोषित कराने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय में रेसपो संख्या 2 द्वारा नकल जमाबंदी सम्वत 2051 से 2054, नकल खसरा गिरदावरी 2009 से 2013, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2017 से 2020, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2031 से 2034 तथा बयान गवाह भोरया पुत्र रामसुखा प्रदर्श 5, बयान गवाह रामरतन पुत्र मोतीलाल प्रदर्श 6 पेश किये एवं रेसपो 2 द्वारा स्वयं बयान दर्ज करवाये गये हैं। जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना ही वादी/रेसपो 2 का वाद पत्र खारिज किया जाकर विवादित आराजीयात का रेसपो संख्या 1 को खातेदार काशतकार घोषित कर कानूनी भूल की है। जो निरस्त योग्य है।

दोनों अपीले एक ही आदेश के विरुद्ध होने से एवं दोनों के तथ्य एक समान होने के कारण दोनों की बहस एक साथ सुनी जाकर एक साथ ही निर्णय पारित किया जा रहा है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस अपीलो पर सुनी गई। जिससे यह तथ्य सामने आये कि उक्त दोनो अपीले मातहत न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के प्रकरण संख्या 1/2013 निर्णय दिनांक 25.1.17 के विरुद्ध इस न्यायालय मे पेश की गई है। विद्वान अधिवक्ताओ की बहस दोनो अपीलो पर सुनने एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि नकल जमाबंदी सम्वत 2010 से 2013 मे विवादित भूमि मे 1/2 हिस्से पर मोतीलाल पुत्र बसन्ती लाल बतौर उपकृषक दर्ज है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 मे भी 1/2 हिस्से पर मोतीलाल पुत्र बसन्ती लाल उपकृषक दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2010 लगायत 2012 मे भी 1/2 हिस्से पर मोतीलाल पुत्र बसन्ती लाल की काश्त दर्ज रिकार्ड है। नकल रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 19.4.84 के अनुसार मोतीलाल बल्द बसन्तीलाल ने उसकी चल अचल सम्पति का वारिस प्रतिवादी/रेस्पो0 1 कोमलप्रसाद को बनाया है। जिसके अनुसार रेस्पो0 कोमल प्रसाद मोतीलाल की समस्त चल व अचल सम्पति का कानूनी वारिस है। मोतीलाल पुत्र बसन्ती लाल वादग्रस्त भूमि के 1/2 भाग पर उप कृषक के रूप मे काबिज काश्त रहे है। अर्थात दिनांक 31.12.69 से पूर्व से ही रेस्पो01 कोमलप्रसाद व उसके पूर्वज वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध मे तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार पूर्ण रूप से कानूनी विवेचन करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 19 के कानूनी प्रावधानो को मद्देनजर ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः दोनो ही अपीले सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील संख्या 9/17 उनवानी प्रयागनारायण बनाम कोमल प्रसाद वगै0 एवं अपील संख्या 13/17 उनवानी मुकेश वगै0 बनाम कोमल प्रसाद वगै0 खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के प्रकरण संख्या 1/13 निर्णय दिनांक 25.1.17 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियों मे पृथक पृथक से संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी  
(यूपीएल उमण)  
सवाई माधोपुर  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

